UPRN010037272026

न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कानपुर–देहात।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1465/2026

अभिनय खन्ना उर्फ अभि खन्ना पुत्र अशोक खन्ना उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम उद्योग मण्डल के पास ग्राम धमना, थाना कालपी, जिला जालौन हाल निवास मोहल्ला मिर्जा मंडी कालपी, थाना कालपी, जिला जालौन।

––प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। ––अभियोजन पक्ष।

अ0सं0–108/2026
धारा– 309(6),317(2) बी०एन०एस०
थाना– सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात।

दिनांक–20.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अभिनय खन्ना उर्फ अभि खन्ना की ओर से मुकदमा अपराध सं०–108/2026 अंतर्गत धारा–309(6),317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा मो० तालिब द्वारा संबंधित थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात में इस आशय की लिखित तहरीर दर्ज करायी गयी कि दिनांक 15–06–2026 को शाम रात बजे वह अपने साथियों के साथ तहसीन शाह की माजार पर सिकन्दरा में कव्वाली सुनने उर्स में आया था, समय करीब तीन बजे रात्रि में दिनांक 16–06–2026 को वह वापस अपने घर जा रहा था बिरहाना पुल के पास शराब के ठेके से करीब 200 मीटर उत्तर की तरफ शौच क्रिया हेतु जा रहा था कि चार व्यक्ति एक चार पहिया वाहन से उतर कर उसकी तरफ आये और बिना कारण उसे मारने पीटने लगे। उसका मोबाइल Vivo V29 छीन लिया, 3000 रू छीन लिए एवं उसके मोबाइल से UPI के माध्यम से 7300 रु दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए, उसने डर के कारण उन लोगों के पूछने पर अपना UPI PIN Number दे दिया था। उन लोगों ने उसे बहुत मारा पीटा है जिससे उसके शरीर पर काफी गम्भीर चोटें आयी है। यह लोग उसे वही मौके पर छोड़कर, उसका मोबाइल लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गये। वह गाडी का नम्बर नही देख पाया है। उसके साथ मारपीट व लूट की घटना समय 3 बजे रात्रि दिनांक 16–06–2026 को हुई है। प्रार्थी द्वारा मेडिकल कराये जाने व मुकदमा दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

3. उक्त तहरीर रिपोर्ट के आधार पर चार अज्ञात व्यक्तियों नाम पता अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 108/2026, धारा 309(6) भारतीय न्याय संहिता–2023 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अभिनय खन्ना उर्फ अभि खन्ना की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

4. जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु यह आधार लिये गये हैं कि प्रार्थी को कथित मुल्जिम मुकदमा उपरोक्त में साजिशन फंसाया गया है जबकि प्रार्थी ने कतई अपराध कारित नहीं किया है और प्रार्थी पूरी तरह निर्दोष है तथा कथित घटना झूठी व बनावटी है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किया है प्रार्थी पढने लिखने वाला व्यक्ति है प्रार्थी के पास से कोई नाजायज वस्तु बरामद नही हुई है प्रार्थी के पास से जो 1950 रू० बरामद करना पुलिस के द्वारा दिखाया गया है वह प्रार्थी के रूपये है। वादी के द्वारा झूठी व काल्पनिक कहानी बनाकर मुकदमा थाने पर दर्ज कराया है जबकि पूरी तरह फर्जी कहानी बनाई है साधारण तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ इतनी गम्भीर घटना होगी वह तुरन्त घटना की सूचना पुलिस को करेगा लेकिन वादी के द्वारा तहरीर में कथन किये गये है कि 15–16/06/2026 की रात्रि की घटना है जबकि पुलिस को सूचना वादी ने दिनांक 18/06/2026 को दी। एफ०आई०आर० 2 दिन विलम्ब से दर्ज कराया है जिससे साबित होता है वादी ने पूरी तरह मिथ्या कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज कराया है। हकीकत यह कि वादी और राजा पुत्र शरीफ निवासी कालपी थाना कालपी जिला जालौन आपस में रिश्तेदार हैं और एक साथ काम कानपुर में किया करते थे और राजा से दिनांक 21/01/2026 को 15000 वादी मो० तालिब ने उधार लिये थे को जल्द लौटाने का वादा किया था लेकिन वादी ने राजा के मांगने पर रूपये नही लौटाये और दिनांक 15–16/06/2026 को उर्स देखने गये थे वही पर राजा ने पुनः अपने रूपये की मांग की जिसपर काफी प्रयास करने के बाद पर वादी ने कहा कि आनलाईन रू0 7300 रू० है जोकि लेलो और बाकी कुछ समय बाद दे देगा। राजा के पास आनलाइन रुपये लेने की व्यवस्था न होने के कारण राजा ने हसनैन उर्फ कैश के मोबाइल में 7300/–रु० डाल दिये और उसके बाद वादी ने राजा को धमकी दी कि इतने गम्भीर मुकदमें फंसायेंगे की बाकी रु० क्या है जो रुपये दिये हैं वह भी वापस करने पड़ेंगे। इसके बाद वादी चला गया और जाकर षडयंत्र रचकर फर्जी कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज कराया। प्रार्थी के घर पुलिस आयी तब प्रार्थी को जानकारी हुयी और प्रार्थी ने पुलिस को सही बात बता दिया था लेकिन पुलिस ने प्रार्थी से नाजायज रुपये की मांग की प्रार्थी ने कहा कि उसने कुछ किया नहीं है तो वह रुपये क्यों दे। जिस पर पुलिस ने प्रार्थी को फर्जी तरीके से उक्त मामले में जेल भेज दिया है। पुलिस ने गुडविल दिखाने के इरादे से प्रार्थी को फर्जी तरीके से मुल्जिम बनाया है। प्रार्थी के पास से कोई वस्तु बरामद नहीं हुआ है और न ही प्रार्थी को वादी से शिनाख्त कराया गया है जबकि मामला अज्ञात में दर्ज है। प्रार्थी को उक्त लोगों व वादी से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी को गलत तरीके से फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी का कतई आपराधिक इतिहास नहीं है। जनता का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है केवल योजनाबद्ध तरीके से कथित घटना को फर्जी तरीके से बनाया गया है। प्रार्थी दिनांक 21.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा न ही माननीय न्यायालय में खारिज हुआ है, न माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इन्हीं आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को मारपीट कर मु०–3000/–रुपये नगद, वीवो V29 मोबाइल लूट करते हुए UPI के माध्यम से 7300/–रुपये खाते में ट्रांसफर करा लिये गये हैं। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है और जनपद कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983 प्रभावी हैं और उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983 में जमानत के सम्बंध में धारा 10 में विशेष

उपबन्ध किये गये हैं और धारा 10 बी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का कोई आधार नहीं है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपराध की प्रकृति व प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका को देखते हुए, यह जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी नहीं है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली मय थाने की आख्या का परिशीलन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त अभिनय खन्ना उर्फ अभि खन्ना पर आरोप है कि कथित दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को मारपीट कर मु०–3000/–रुपये नगद, वीवो V29 मोबाइल लूट करते हुए UPI के माध्यम से 7300/–रुपये खाते में ट्रांसफर करा लिये गये हैं। दौरान विवेचना दिनांक 20.06.2026 को पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना एवं बताये हुए स्थान से प्रार्थी/अभियुक्त को पकड़ा और जामा तलाशी के दौरान लूट के उसके हिस्से के 2500/–रुपये में से खर्च के बाद शेष मु०–1950/–रुपये बरामद किये गये। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने लूट जैसा जघन्य अपराध कारित किया तथा पुलिस द्वारा उसके व सह अभियुक्त के कब्जे से लूट के माल बरामदगी की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में उत्तर प्रदेश दस्यु प्रभावी अधिनियम 1983 प्रभावी है। धारा 10–B डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को तभी जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जब उसके विरूद्ध यह साक्ष्य हो कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह माना जाये कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है।

8. अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त की मामले में भूमिका को देखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरे विचार से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

9. प्रार्थी/अभियुक्त अभिनय खन्ना उर्फ अभि खन्ना का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर–देहात।

दिनांक–20.07.2026

Digitally signed by Parul Srivastav
Date: 2026.07.20 16:41:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court